

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, जयपुर, राजस्थान

अरावली भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004 (राज.)

क्रमांक:- एफ 5 () एफ.सी.ए./मुवसंज/2022-23/ 11893

दिनांक:- 19/12/22

निमित्त:-

उप वन संरक्षक,
दौसा।

विषय:- Laying of Underground optical fiber cable Along the NH-21 (Old NH-11)
road Within the Existing Row from Mahuwa to Via Halena- Bharatpur
(Proposal no.-FP/RJ/OFC/47243/2020)

संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक 11275 दिनांक 15.11.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके संदर्भित पत्र द्वारा आलौच्य प्रकरण में अवगत करवाया गया है कि आपके वनमण्डल अधीन प्रत्यावर्तन हेतु पडने वाला क्षेत्र 0.3627 है० है। यदि आपके कार्यालय द्वारा सीए स्कीम ली जाती है तो 0.7254 है० क्षेत्रफल पर ही लिया जावेगा, जो कि वृक्षारोपण हेतु बहुत ही कम क्षेत्रफल है।

चूंकि प्रकरण में प्रभावित क्षेत्र वन मण्डल दौसा मे है। अतः प्रकरण में परिभ्रांषित क्षेत्र मे सीए मॉडल अनुसार सीए स्कीम तैयार इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करावें, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

भवदीय,

(मनफूल सिंह)

मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर
19/12/22